**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 102**

**सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)**

**टैक्‍सी और कैब एग्रीगेटर्स के लिए किरायों का विनियमन**

**102. श्री देरेक ओब्राईन:**

**क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्‍या मंत्रालय टैक्‍सी और कैब एग्रीगेटर्स पर न्‍यूनतम किराया अधिरोपित करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या मंत्रालय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कैब एग्रीगेटर्स को लाइसेंस जारी करने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कैब एग्रीगेटर्स को नियमित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्‍या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्‍या मंत्रालय दाम में मनमानी बढ़ोत्‍तरी से ग्राहकों की सुरक्षा करने के लिए कोई कदम उठा रहा है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (घ):** मंत्रालय ने दिसम्‍बर माह, 2016 में टैक्‍सी नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि राज्‍य टैक्‍सी एग्रीगेटर्स द्वारा प्रभारित प्रशुल्‍कों पर निम्‍नतम एवं उच्‍चतम सीमा नियत कर सकता है । कैब एग्रीगेटर्स के लिए लाइसेंस मुहैया कराने हेतु मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 में संशोधन करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 93 का प्रस्‍ताव किया गया है । इस विधेयक को लोक सभा द्वारा पारित कर दिया गया है और वह राज्‍य सभा के विचारार्थ लंबित है ।

\*\*\*\*\*